



सं.मानू/प्रशासन/मि.120/2022-23/138

दिनांक: 13 अप्रैल, 2023

कार्यालय आदेश

विषय: मानू- प्रशासन- तत्काल प्रभाव दिनांक 01.01.2023 से संशोधित दरों पर महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में- आदेश जारी।

संदर्भ : 1. यूजीसी परिपत्र सं.एफ-67-3/2021(सीयू) दिनांक 12 अप्रैल 2023

2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03 अप्रैल 2023 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं.1/1/2023- ई.11 (बी)

3. दिनांक 13.04.2023 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन पा रहे मानू के कर्मचारियों को, महँगाई भत्ता 38% की मौजूदा दर से 42% की बढ़ी हुई दर पर तत्काल प्रभाव दिनांक. 01 जनवरी, 2023 से भुगतान हेतु अनुमोदित किया गया है, जो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त संदर्भ पत्र के अंतर्गत उद्धृत कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित है।

#आदेशानुसार#


कुलसचिव

कुलसचिव / Registrar

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu University
गच्चीबोली, हैदराबाद-५०० ०३२.
Gachibowli, Hyderabad-500 032.

वित्त अधिकारी(संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)

सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष(डीन)
सभी विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक)/ केन्द्र/ डीडीई
सभी अनुभाग अध्यक्ष/ प्रभारी (गैर-शैक्षणिक)
पॉलिटिकनीक ,आईटीआई एवं मॉडल स्कूल

प्रति :

1. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/ओएसडी-I/ओएसडी-II/जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय
2. निदेशक डीडीई/ परीक्षा नियंत्रक
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. उर्दू अनुवाद हेतु उर्दू अधिकारी/ हिन्दी अनुवाद हेतु हिन्दी अधिकारी
5. संबंधित फाइल